बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

24 जुलाई 2019

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

- 23

नियम का उल्लंघन

*191 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बिल्डर कानून की धड़ल्ले से अनदेखी कर रजिस्ट्रार से सांठ-गांठ कर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रावधानों को दरकिनार कर अर्द्धनिर्मित अपार्टमेंट को पूर्ण दिखाकर फ्लैटों की रजिस्ट्री की जा रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिल्डरों की हेरा-फेरी के आगे नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत शामिल हैं, इनकी मिलीभगत से प्रावधानों का उल्लंघन कर अधूरे अपार्टमेंट को पूर्ण दिखाकर खरीद की जा रही है जबकि खरीददारों द्वारा भवन के पूरा हो जाने का प्रमाण पत्र मांगने पर मुहैया नहीं कराया जाता है ;

(ग) क्या यह सही है कि व्यावसायिक और आवासीय भवनों की पूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र संबंधित नगर निकायों से अनिवार्य रूप से बिल्डरों को लेनी है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रेरा के नियम का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतनवृद्धि कब तक

***393 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री,सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमित कमियों को प्रतिवर्ष जुलाई माह मे वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ग 'घ', 'ग' एवं 'ख' (चतुर्थ, तृतीय एवं पदाधिकारी) के नियमित कर्मी , पदाधिकारी जिन्होंने जुलाई 2018 में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित रखा गया है जबकि उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में वर्णित वर्ग के वेतनवृद्धि से वंचित कमियों को सप्तम वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल सका है, जिससे कमियों में असंतोष व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में वेतनवृद्धि देने में कोताही बरतने वालों पर त्वरित कार्रवाई कर खंड 'ख' में वर्णित वेतन वृद्धि से वंचित कमियों को वेतनवृद्धि देने एवं उन्हें सप्तम वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राज्य के विभिन्न जिलों में नदियों की धारा बदलने से निकली जमीन का सर्वेक्षण

***394 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

तारांकित प्रश्न

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य में नदियों की धारा बदलने से पटना, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, खगडिया, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण जमीन निकलने को लेकर गड़बड़ी का पता है;

(ख) क्या यह सही है सरकारी जमीन होने पर भी उसे रैयती बता कर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कहीं-कहीं जमीन कीी बिक्री भी हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सभी जिला में नदियों की धारा से निकलनेवाली जमीन

का सर्वे किया जायेगा, विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर पता किया जाएगा कि निकलनेवाली जमीन सरकार है या रैयती;

(घ) क्या यह सही है कि रिविजनल सर्वेक्षण के समय नदी की जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो सका था जिसके ऐसी जमीन का खता, खेसरा, चौहद्दी, जमीन के प्रकार का स्वामित्व के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है;

(ड.) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक नदियों की निकली जमीन का सर्वे कराना चाहती है ?

चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण

***395 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया शहर के वार्ड नं0-32 चाणक्यपुरी मोहल्ले में स्थित चिल्ड्रेन पार्क की स्थिति काफी दयनीय है, इस कारण यह पार्क न तो बच्चों के खेलने लायक रह गया है और ना ही टहलने- बैठने के लायक ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त चिल्ड्रेन पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण शीध्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सफाई की व्यवस्था

***396 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 44 सड़क के उत्तर एवं वार्ड संख्या – 45 सड़क के दक्षिण में पड़ता है और उक्त दोनों वार्ड हनुमान नगर क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वार्ड संख्या– 44 में नगर निगम के कर्मी के द्वारा सफाई करायी जाती है और वहीं वार्ड संख्या- 45 (प्रश्नकर्ता सदस्य के आवास का क्षेत्र) में सफाई नहीं होती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हनुमान नगर

क्षेत्र के वार्ड संख्या-45 में प्रतिदिन सफाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहती है?

पीने का पानी कब तक

***397 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में सार्वजनिक स्थल पर पीने का पानी नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण पटना के प्रमुख मार्केट, सरकारी कार्यालय एवं यहां तक कि निगम मुख्यालय में भी पानी की दिक्कत है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस भीषण गर्मी में जनताको सार्वजनिक स्थलों पर पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लाईट की व्यवस्था

***398 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना शहर स्थित जगदेव पथ से फुलवारीशरीफ रेलवे गुमटी तक रोड के किनारे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ के किनारे रात्रि के अंधेरे में असामाजिक तत्व छिपे रहते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ के किनारे रात्रि के अंधेरे में छिपे असामाजिक तत्व राहगीरों का सामना छीनते आ रहे हैं, जिसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिलान्तर्गत पटना शहर स्थित जगदेव पथ से फुलवारीशरीफ रेलवे गुमटी तक सड़क के किनारे छिपे असामाजिक तत्वों से राहगीरों के बचाव हेतु लाइट की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

गाडि़यों का परिचालन

***399 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि है कि दरभंगा शहर के कटहलबाड़ी-लक्ष्मीसागर ओवर ब्रिज के लक्ष्मीसागर में एप्रोच रोड अत्यंत संकीर्ण बना दिया गया है जिसके कारण गाडि़यों के परिचालन में अत्यंत कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एप्रोच रोड के चौड़ीकरण सहित वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है ताकि गाडि़यों का परिचालन ठीक तरीके से हो एवं ओवर ब्रिज की उपयोगिता बढ़ सके , यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्ति कब तक

***400 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् के राजेन्द्र पथ अन्तर्गत टुनटुनिया चौक (गुमटी) से माल गोदाम चौक तक का पथ दोनों तरफ से अतिक्रमित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ अतिक्रमित होने के कारण आवागमन की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है ताकि आवागमन सामान्य हो सके , यदि हां तो कबतक?

कब्जा मुक्त कब तक

***401 श्री सोने लाल मेहता (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के गर्दनीबाग थानान्तर्गत मुहल्ला-रघुनाथ टोला, पो0 अनिसाबाद के कमजोर वर्ग की निर्धन महिला निवासी लालती देवी, पति- श्री सुभाष पंडित जो पटना में किराये के मकान में रहती आ रही हैं, को वर्ष 2010 में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा अपने प्रमाण पत्र क्रम सं. – 790148 दिनांक – 28.09.10 द्वारा पटना जिला के फुलवारी अंचल के मौजा- आलमपुर, गोनपुरा, सर्वे थाना-फुलवारीशरीफ, थाना नं.- 68, तौजी नं.- 2818, खाता नं.- 422, खेसरा नं.- 1984, कुल रकबा- 04 डिसमिल जमीन निवास हेतु दी गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा दी गई जमीन पर पटना जिला के बभनपुरा ग्राम के निवासी राजेन्द्र सिंह, पिता- सकलदीप सिंह तथा उनके भाई भरत सिंह और सुवा सिंह ने लाठी-डंडे एवं हरवे-हथियार से लैस होकर कुछ अपराधियों के साथ मिलकर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है;

(ग) क्या यह सही है कि श्रीमती लालती देवी, पति श्री सुभाष पंडित को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा दी गई जमीन के चलते उनके जान-माल की सुरक्षा देना अति आवश्यक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'क' पर अंकित जमीन पर से खंड 'ख' पर अंकित व्यक्तियों से कब्जा मुक्त करते हुए श्रीमती लालती देवी, पति- सुभाष पंडित को जान-माल की सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आदेश कब तक

***402 श्री संजय कुमार सिंह (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बरसात का मौसम शुरू हो जाने के बाद भी नगर परिषद् दानापुर क्षेत्र में अब तक नालों की सफाई एवं उड़ाही का काम नहीं कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मात्र एक – दो दिनों की वर्षा में ही नाली का पानी सड़क पर एवं घरों में प्रवेश कर रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या सरकार दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत नालों की सफाई एवं उड़ाही कराने का आदेश देना चाहती है?

मुआवजा का भुगतान

***403 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री,आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के भंडारी ग्राम पंचायत –हवनपुरा, थाना- रहुई के मूल निवासी राजनंदन यादव, पिता- स्व. भतु यादव की मृत्यु दिनांक – 13.11.2014 को बिजली के तार शरीर पर गिर जाने के कारण हो गयी;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय मुखिया ने दिनांक – 15.02.15 को स्थानीय पदाधिकारी को अनुशंसा की कि विद्युत तार गिरने के कारण हुई मृत्यु के पश्चात् सरकार को मुआवजा की राशि प्रदान करना चाहिए;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्युत तार से करेन्ट लगने से हुई मृत्यु के पश्चात मुआवजा का भुगतान स्व0 राजनंदन यादव के परिवार को करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भुगतान कबतक

***404 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत दिनारा प्रखंड में सरकार के द्वारा शौचालय का निर्माण करा दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि शौचालय के निर्माण होने के बावजूद संवेदक को उक्त राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संवेदक को राशि का अविलम्ब भुगतान करना चाहती है, हां तो कबतक?

आधार से लिंक कबतक

*405 **श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कालाबाजारी एवं माफिया राज को समाप्त करने के लिए सरकार पी.डी.एस. राशन दुकानों को आधार से यथाशीध्र लिंक करना चाहती हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पी.डी.एस. दुकानों को आधार से कब तक लिंक करना चाहती है?

निर्वाचन कबतक

*406 **श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य भर में प्रखंड स्तर पर नाव यातायात स्वावलंबी सहकारी समितियां निबंधित हैं, जिनका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकारी, पटना द्वारा किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 अन्तर्गत राज्य भर में पटना जिला सहित अन्य जिलों में निबंधित दर्जनों मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवक्रमित हैं, जिनका निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा किया जाना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहकारी समितियों का निर्वाचन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पहल कबतक

*407 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

आपदा प्रबंधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जिला में विगत कई वर्षों से विभिन्न नदियों के कटाव से हजारों परिवार विस्थापित होकर सड़क किनारे/बांधों पर अस्थाई रूप से घर बनाकर

रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नदियों के कटाव से विस्थापित परिवारों का स्थाई वसोवास नहीं होने की स्थिति में सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं से अधिकतर परिवार वंचित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित परिवारों को जल्द बसने के लिए पहल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई का विचार

***408 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद्, नालंदा के द्वारा राजगीर जैसे पर्यटक केन्द्र में जिला परिषद् की जमीन के मौजा- राजगीर, थाना नं.- 485, खेसरा नं.-5214 के मामले में व्यक्ति विशेष का पक्ष लेते हुए पत्रांक – 623 दिनांक – 11.08.2018 द्वारा अतिक्रमण वाद नहीं चलाने का आदेश पारित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद्, नालंदा ऐसे कई जगहों पर यथा- बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा, चंडी, नूरसराय इत्यादि स्थानों पर दुकानों की बंदोवस्ती में मनमानी करते हैं, साथ ही अतिक्रमित भूमि पर वाद नहीं चलाने का आदेश पारित करते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजगीर में जिला परिषद् की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद् ,नालंदा पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?

सड़क एवं भू-गर्भ नाला का निर्माण

***409 श्री शिव प्रसन्न यादव (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ गुमटी के उत्तर रेलवे लाइन के किनारे जगदेव पथ से उफरपुरा गांव खगौल नहर रोड तक का भूगर्भ नाला सात निश्चय योजना के तहत नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण महिलाएं एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि बरसात के समय स्थिति और नाजुक हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सात निश्चय योजना के तहत पक्की सड़क एवं भू-गर्भ नाला का निर्माण यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***410 श्री राधा मोहन शर्मा (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल अंचल के श्रीपुर हाटी उत्तरी पंचायत के मोहनपुर बरई टोला में धोबियाही पोखर अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि धोबियाही पोखर सरकारी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पोखर को भिण्डा गांव के ही रामलखन राउत, पवन राउत, हरि प्रसाद राउत वगैरह द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी पोखर को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नियुक्ति कबतक

***411 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

मंत्रिमंडल सचिवालय :-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने उर्दू अनुवादक की नियुक्ति का निर्णय

लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुवादक की नियुक्ति की प्रक्रिया किस अवस्था में है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार अनुवादकों की नियुक्ति के लिए गंभीर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उनकी नियुक्ति कबतक करने का इरादा रखती है?

खरवार जाति का नामकरण

***412 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार में खरवार जाति के लोग कमकर के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इनकी मूल जाति खरवार है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में खरवार जाति अनुसूचित जाति के क्रमांक -17 पर अधिसूचित है, लेकिन बिहार के लगभग-16 जिलों में सर्वे खतियान (1910) अर्थात् अनुसूचित जाति के कॉलम में खरवार की जगह पेशाकार्य नाम अर्थात कमकर, कहार, कमुआ, भुवला आदि लिख दिया गया है, जो जाति के नाम में अंकित है या कहीं टाईटिल के नाम में;

(ग) क्या यह सही है कि इन अभिलेखों में त्रुटि की वजह से यह खरवार समुदाय अपनी पहचान और सुविधा से वंचित है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी खर्चे पर खरवार जाति की विवादित समस्याओं के समाधान हेतु ए. एन. सिन्हा समाजिक शोध संस्थान के माध्यम से वर्ष 2008 में खरवारों का नृजातीय अध्ययन कराया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट सरकार के पास 2011 से पड़ी है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है;

(ड़) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कमकर के बदले खरवार जाति का नामकरण दर्ज करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अधिनियम का कार्यान्वयन

***413 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करने, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को गलत प्रतिवेदन देकर उन्हें गंभीर रूप से गुमराह करने तथा सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में नवादा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नवादा के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनन्य वाद संख्या- 4361101120518013 62 में उपरोक्त आरोपों के लिए दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन का दिनांक – 25.07.2018 को आदेश दिया था;

(ग) क्या सही है कि एक वर्ष के लम्बे अंतराल के बावजूद दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु दोषी पदाधिकारी को दंडित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाम में सुधार

***414 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के बेऊर मौजा के थाना सं0- 33 के जमाबंदी संख्या- 3617, खाता सं0- 36, खेसरा सं0- 9 में ऑनलाईन नाम दर्ज करने के समय रैयत का नाम उमा रानी उर्फ सुनीता कुमारी एवं रकबा- 1700 वर्गफीट के जगह गलत नाम एवं रकबा दर्ज हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सुधार हेत अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना को सभी आवश्यक प्रक्रिया एवं कागजात के साथ आवेदन दिया गया है जिसका डायरी क्रमांक – 2571 दिनांक - 28.05.2019 है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ , पटना द्वारा आज तक उक्त आवेदन पर कोई विचार या आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त गलत नाम का सुधार करायेगी तथा विलम्ब करने वाले पदाधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?